

Section of BNSS

173(1)(ii)

अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

विषय:- शून्य (Zero) पर पंजीबद्ध की जाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से प्राप्त संज्ञेय अपराध की इत्तिला पर से पंजीबद्ध की जाने वाली e-FIR के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

--00--

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173(1) में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की इत्तिला मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के संबंध में प्रावधान दिये गये हैं। धारा 173(1) के नवीन प्रावधानों को उनके मूल स्वरूप में लागू करने एवं एकरूपता के लिए समस्त पुलिस अधिकारियों को निम्नानुसार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

I. शून्य (Zero) प्रथम सूचना रिपोर्ट:-

1. जब भी किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी ऐसे संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है जो उसके थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत घटित नहीं हुआ है तो भी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी बिना विलंब किये शून्य अपराध क्रमांक पर उस संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करेगा।
2. शून्य पर संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के उपरांत यदि आवश्यकता हो तो फरियादी का मेडिकल परीक्षण भी कराया जायेगा।
3. शून्य पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, असल अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेतु उस थाने को स्थानान्तरित की जायेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह अपराध घटित हुआ है।
4. शून्य पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति तत्काल सूचना देने वाले व्यक्ति को निःशुल्क दी जायेगी और उसे यह भी सूचित किया जायेगा कि उसके द्वारा दी गई इत्तिला पर से क्षेत्राधिकार न होने के कारण शून्य पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और उसे यह भी सूचित किया जायेगा कि शून्य पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट असल अपराध पंजीबद्ध हेतु किस थाने को स्थानान्तरित की गई है।
5. थाना प्रभारी शून्य पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को डीएसआर में पर्यवेक्षण अधिकारी को भी भेजेगा।
6. शून्य पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रविष्टि रोजनामचा सान्हा में भी की जायेगी।
7. यदि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने से इंकार किया जाता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
8. जब भी किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को शून्य पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट असल अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेतु प्राप्त होती है और वह अपराध उस थाने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत घटित हुआ है तो शून्य पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर बिना विलंब किये असल अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया जायेगा।



II. e-FIR:-

1. धारा 173(1) में इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की इत्तिला दिये जाने के संबंध में प्रावधान दिये गये है।
2. इलेक्ट्रानिक संसूचना (Electronic communication) की परिभाषा धारा 2(1)(i) में दी गई है, जिसके अनुसार Electronic communication में टेलीफोन, मोबाइल फोन, Wireless telecommunication device, कम्प्यूटर, ऑडियो-वीडियो प्लेयर, कैमरा अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस या इलेक्ट्रानिक प्रारूप जो केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये सम्मिलित है।
3. इलेक्ट्रानिक संसूचना के द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की इत्तिला प्राप्त होती है तो उसे देने वाले व्यक्ति (शिकायतकर्ता) द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जायेगी।
4. प्रत्येक थाने पर संलग्न प्रारूप अनुसार एक e-शिकायत रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से प्राप्त संज्ञेय अपराध की इत्तिला की प्रविष्टि एवं की गई कार्यवाही का उल्लेख किया जायेगा।
5. e-शिकायत रजिस्टर में इत्तिला प्राप्त होने की दिनांक, इत्तिला देने वाले व्यक्ति (शिकायतकर्ता) का नाम, पता एवं संज्ञेय अपराध की इत्तिला किस इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसका भी विवरण दिया जायेगा, जैसे- मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हुई है तो उसका नम्बर क्या है, मेल के माध्यम से प्राप्त हुई है तो उसका ई-मेल एड्रेस क्या है आदि।
6. इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से संज्ञेय अपराध की इत्तिला प्राप्त होने पर सूचना देने वाले व्यक्ति (शिकायतकर्ता) को इस बात से भी अवगत कराया जायेगा कि उसके द्वारा इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से प्राप्त संज्ञेय अपराध की इत्तिला पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट तब लेखबद्ध की जायेगी जब वह व्यक्ति तीन दिवस के भीतर थाने पर उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर करेगा।
7. बिन्दु क्रमांक 6 में उल्लेखित तथ्य से, इत्तिला देने वाले व्यक्ति (शिकायतकर्ता) को इत्तिला प्राप्त होने के दिन ही और उसी इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से अवगत कराया जायेगा, जिस माध्यम से इत्तिला प्राप्त हुई है।
8. बिन्दु क्रमांक 6 में उल्लेखित तथ्य से, इत्तिला देने वाले व्यक्ति को अन्य माध्यम से भी अवगत कराया जा सकता है।
9. बिन्दु क्रमांक 6 में उल्लेखित तथ्य से, इत्तिला देने वाले व्यक्ति को अवगत करा दिया गया है, इस तथ्य की प्रविष्टि रोजनामचा सान्हा में भी की जायेगी।
10. यदि इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से संज्ञेय अपराध की इत्तिला देने वाला व्यक्ति (शिकायतकर्ता) तीन दिनों के अंदर पुलिस थाने में उपस्थित होने में असफल रहता है तो थाना प्रभारी द्वारा इसकी प्रविष्टि रोजनामचे में एवं e-शिकायत रजिस्टर में की जायेगी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी को भी सूचित किया जायेगा।

11. यदि इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से संज्ञेय अपराध की इत्तिला देने वाला व्यक्ति (शिकायतकर्ता) तीन दिनों के पश्चात् थाने पर उपस्थित होता है, तो निर्धारित अवधि में उपस्थित न होने के कारण को स्पष्ट करते हुये, उसके द्वारा थाने पर उपस्थित होकर 16 संज्ञेय अपराध की इत्तिला पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जायेगी।
12. यदि इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से प्राप्त संज्ञेय अपराध की सूचना की प्रकृति एवं गंभीरता के कारण पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही/हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत होती है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी तत्काल उक्त सूचना के तथ्यों एवं परिस्थितियों की पुष्टि करने के पश्चात् शिकायतकर्ता की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगा।

अतः उपरोक्त निर्देश/प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- e-शिकायत रजिस्टर प्रारूप

क्र.अवि/विधि/1/विविध/199/23/ 17

/2025

दिनांक-2/01/2025

प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, म.प्र. भोपाल।
2. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल।
3. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जोन, म.प्र.।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, म.प्र.।
5. पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल एवं इंदौर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक रेल, म.प्र.।

(पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश द्वारा अवलोकित)

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अपराध अनुसंधान विभाग,
पुलिस मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

प्रारूप e-शिकायत रजिस्टर

क्र.	e-शिकायत प्राप्त होने का दिनांक	e-शिकायत कर्ता का नाम, पता	e-शिकायत प्राप्त होने का माध्यम	e-शिकायत का संक्षिप्त विवरण	e-शिकायत कर्ता को तीन दिवस में थाने पर उपस्थित होने हेतु दी गई सूचना का दिनांक एवं माध्यम	e-शिकायत कर्ता का थाने पर उपस्थित होने का दिनांक	e-शिकायत के आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---	--	--	---------

